



ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्लॉट नं.-01, सैक्टर-नॉलेज पार्क-04, ग्रेटर नौएडा, जिला गौतमबुद्धनगर, उ.प्र.

पत्रांक- ग्रेनो/बी.आर.एस./2020/785
दिनांक 23 फरवरी, 2020
103

कार्यालय-आदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा होम बायर्स के पक्ष में आवश्यक कदम उठाये जाने हेतु एन0सी0आर0 क्षेत्र के औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में ग्रुप हाउसिंग/ बिल्डर्स स्कीम में बिल्डर/ डेवलपर्स द्वारा फ्लैट एवं भूखण्ड के आवंटियों कब्जा प्रदान न किये जाने के कारण उत्पन्न समस्याओं के समाधान हेतु शासनादेश संख्या- 3804/77-4- 19- 142एन/08, दिनांक 05.12.2019 में नौएडा, ग्रेटर नौएडा एवं यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में अपूर्ण ग्रुप हाउसिंग परियोजनाओं को पूरा करने एवं होम बायर्स को राहत पहुँचाने के उद्देश्य से बिल्डर परियोजनाओं में शून्यकाल दिये जाने तथा समय विस्तरण दिये जाने से सम्बन्धित नीति निर्धारित की गयी है।

शून्यकाल के सम्बन्ध में वर्ष 2016 में तीनों प्राधिकरणों की शून्यकाल नीति एवं शून्यकाल की गणना पद्धति में एकरूपता लाये जाने के प्रयास किये गये थे। क्योंकि यह शासनादेश तीनों प्राधिकरणों के लिए लागू है, अतः तीनों प्राधिकरणों में एक समान शून्यकाल नीति निर्धारित करने एवं शून्यकाल की गणना पद्धति निर्धारित करने हेतु अध्यक्ष महोदय द्वारा नौएडा, ग्रेटर नौएडा एवं यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारियों की समिति गठित करते हुए दिनांक 16.01.2020 को कार्यालय आदेश जारी किया गया, जिसमें यह उल्लेख किया गया कि यह समिति शासनादेश का विस्तृत अध्ययन करके तीनों प्राधिकरणों में लागू वर्तमान नीतियों का अध्ययन करके, इस शासनादेश को लागू करने हेतु, तीनों प्राधिकरणों में शून्यकाल की नीति में एकरूपता बनाये रखने हेतु शून्यकाल की परिभाषा, उनकी गणना का तरीका व अन्य बिन्दुओं में स्पष्टता हेतु अपनी संस्तुति उपलब्ध करायेगी, जो तीनों प्राधिकरण अपने बोर्ड में अनुमोदित करके लागू करेंगे।

उपरोक्त शासनादेश में निर्धारित नीति को तीनों प्राधिकरणों में लागू किये जाने के संदर्भ में तीनों प्राधिकरणों के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारियों की संयुक्त समिति की संस्तुति को ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण की 117वीं बोर्ड बैठक दिनांक 10.02.2020 के मद संख्या-117/9 में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया था, जिसे बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है, जिसकी प्रति अनुपालनार्थ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक- यथोपरि।

(कृष्ण कुमार गुप्त)
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी

प्रतिलिपि-

1. स्टाफ आफीसर को मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (डी) के अवलोकनार्थ प्रेषित।
3. समस्त विभागाध्यक्ष।
4. प्रबंधक (सिस्टम) को प्राधिकरण की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी

29.02.2020

अपूर्ण ग्रुप हाउसिंग परियोजनाओं को पूरा करने एवं होम बायर्स को राहत पहुँचाने विषयक शासनादेश संख्या: 3804/77-04-19-142 एन0/08 दिनांक 05.12.2019 के प्राविधानों के अनुपालन हेतु नौएडा/ग्रेटर नौएडा/यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा अपनाई जाने वाली प्रस्तावित कार्य योजना:-

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा होम बायर्स के पक्ष में आवश्यक कदम उठाये जाने हेतु एन0सी0आर0 क्षेत्र के औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में ग्रुप हाउसिंग/बिल्डर/डेवलपर्स द्वारा फ्लैट एवं भूखण्ड आबंटियों को कब्जा प्रदान न किये जाने के कारण उत्पन्न समस्याओं के समाधान हेतु शासन द्वारा शासनादेश संख्या 3804/77-04-19-142 एन0/08 दिनांक 05.12.2019 में नौएडा, ग्रेटर नौएडा एवं यमुना विकास प्राधिकरण में अपूर्ण ग्रुप हाउसिंग परियोजनाओं को पूरा करने एवं होम बायर्स को राहत पहुँचाने के उद्देश्य से चार बिन्दुओं के अन्तर्गत आच्छादित होने पर शून्यकाल दिये जाने समय विस्तारण दिये जाने हेतु नीति निर्धारित की गयी है।

शून्यकाल के संबंध में वर्ष 2016 में तीनों प्राधिकरणों की शून्यकाल नीति एवं शून्यकाल की गणना पद्धति में एकरूपता लाये जाने के प्रयास किये गये थे। क्योंकि यह शासनादेश तीनों प्राधिकरणों के लिए लागू है, अतः तीनों प्राधिकरणों में एक समान शून्यकाल नीति निर्धारित करने एवं शून्यकाल की गणना पद्धति निर्धारित करने हेतु अध्यक्ष महोदय द्वारा नौएडा, ग्रेटर नौएडा एवं यमुना विकास प्राधिकरण के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी की समिति गठित करते हुए दिनांक 16.01.2020 को कार्यालय आदेश जारी किया गया, जिसमें यह उल्लेख किया गया कि यह समिति शासनादेश का विस्तृत अध्ययन करके तीनों प्राधिकरणों में लागू वर्तमान नीतियों का अध्ययन करके, इस शासनादेश को लागू करने हेतु, तीनों प्राधिकरणों में शून्यकाल की नीति में एकरूपता बनाये रखने हेतु शून्यकाल की परिभाषा, उनकी गणना का तरीका व अन्य बिन्दुओं में स्पष्टता हेतु अपनी संस्तुति 07 दिनों में उपलब्ध करायेगी जो तीनों प्राधिकरण अपने बोर्ड में अनुमोदित करके लागू करेंगे।

तीनों प्राधिकरणों की शून्यकाल की नीति एवं उक्त संदर्भित शासनादेश में की गई व्यवस्थाके परीक्षण उपरांत समिति सर्व सम्मति से निम्न प्रक्रिया के अन्तर्गत सम्बन्धित प्राधिकरणों के बोर्ड से अनुमोदन उपरान्त संदर्भित शासनादेश को तीनों प्राधिकरण में अंगीकृत करने की संस्तुति करती है:-

शासनादेश दिनांक 05.12.2019 के बिन्दु	प्रस्ताव
शासनादेश दिनांक 05.12.2019 द्वारा नौएडा, ग्रेटर नौएडा एवं यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में अपूर्ण ग्रुप हाउसिंग परियोजना को पूरा करने एवं होम बायर्स को राहत पहुँचाने के उद्देश्य से निम्नलिखित निर्णय लिए गए हैं- शासनादेश का प्रस्तर (1): आबंटी/विकासकर्ताओं को प्राधिकरण द्वारा निम्न परिस्थितियों में "शून्य अवधि" अनुमन्य करायी जायेगी-	• जिन प्रकरणों में 30 प्रतिशत से अधिक क्षेत्रफल पर कार्यबाधित होने के फलस्वरूप उक्त शासनादेश के अन्तर्गत शून्यकाल घोषित किया जाता है तो शून्यकाल की गणना निम्नानुसार किया जाना प्रस्तावित है-
(अ) यदि प्राधिकरण की त्रुटि के कारण प्राधिकरण द्वारा आबंटी/विकासकर्ता को आबंटित भूमि/भूखण्ड का कब्जा हस्तगत नहीं हो पा रहा है। साथ ही ऐसे प्रकरणों में त्रुटि के लिए जाचोपरान्त पाये गये दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध प्राधिकरण द्वारा पृथक से आवश्यक कार्यवाही भी करायी जायेगी।	यदि किसी भूखण्ड के 30 प्रतिशत से अधिक क्षेत्रफल के लिये कार्यबाधित अवधि का शून्यकाल घोषित किया जाता है तो शासनादेश के बिन्दु सं0 2(1) अ,ब,स,द के प्राविधान के अनुसार 100 प्रतिशत क्षेत्रफल पर शून्यकाल अनुमन्य करते हुए शून्यकाल अवधि में पडने वाली किरतो को (प्रीमियम+साधरण ब्याज) शून्यकाल की अंतिम तिथि से आगे शिफ्ट कर दिया जाएगा तथा शून्यकाल अवधि का कोई दण्ड ब्याज नहीं लिया जाएगा। शून्यकाल अवधि के बाद पडने वाली किरतो को भी तदानुसार शिफ्ट कर दिया जायेगा।
(ब) न्यायालय के स्थगन आदेश रहने के कारण आबंटन/पट्टा प्रलेख/कब्जे की प्रक्रिया पर रोक हो अथवा निर्माण कार्य आगे नहीं किया जा सकता हो।	

31.01.2020
ACEO
GNIDA

31/1/2020

31/1/2020

शासनादेश/प्राधिकरण बोर्ड के आदेशों के परिप्रेक्ष्य में प्रलेख निष्पादित न हो सका हो।

यदि किसी भूखण्ड का कब्जा दिया जा चुका है तथा उक्त प्रलेख का निष्पादन भी हो चुका है, परन्तु आवंटित भूखण्ड के लिए कोई पहुँच मार्ग नहीं है, जिसके कारण आवंटित भूखण्ड पर निर्माण/विकास किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा हो। इन प्रकरणों में Satellite Imagery द्वारा पुष्टि कराई जायेगी कि परियोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ न हुआ हो।

शून्य अवधि की गणना निम्नलिखित तरीके से की जायेगी-

डवलपर्स को कुल आवंटित भूमि के सापेक्ष प्रभावित भूमि (प्रतिशत में)	छूट का प्रतिशत
आवासीय उपयोग के भूखण्ड	
30 प्रतिशत से अधिक	100 प्रतिशत
20 प्रतिशत से अधिक और 30 प्रतिशत तक	50 प्रतिशत
10 प्रतिशत से अधिक 20 प्रतिशत तक	25 प्रतिशत
10 प्रतिशत तक	आनुपातिक

शून्य अवधि की उपरोक्त सुविधा ऐसे विकासकर्ता को ही अनुमन्य होगी, जो फ्लैट बायर्स के हितों को संरक्षित करने के उद्देश्य से जून, 2021 तक परियोजना पूर्ण करने का लिखित आश्वासन देते हैं और यदि उनके द्वारा दिए गए आश्वासन के क्रम में दिनांक 30.6.2021 तक अपनी परियोजना पूर्ण नहीं की जाती है तो शून्य अवधि से सम्बन्धित यह सुविधा निरस्त कर दी जाएगी।

उदाहरणतः- एका कम्पनी को 20000 वर्ग मीटर भूखण्ड आवंटित है एवं उसकी 75 प्रतिशत भूमि 15000 वर्गमीटर भूमि पर, जिस अवधि तक गा. न्यायालय का स्थगनादेश प्रभावी था। ऐसी स्थिति में आवंटी को पूरे 20000 वर्गमीटर क्षेत्रफल पर उस कार्यबाधित अवधि का शून्यकाल अनुमन्य किया जाएगा। शून्यकाल अवधि में पडने वाली किश्तों को (प्रीमियम+साधारण ब्याज) शून्यकाल की अंतिम तिथि से आगे शिफ्ट कर दिया जाएगा तथा शून्यकाल अवधि का कोई दण्ड ब्याज नहीं लिया जाएगा। शून्यकाल अवधि के बाद पडने वाली किश्तों को भी तदानुसार शिफ्ट कर दिया जायेगा।

- जिन प्रकरणों में 20 से 30 प्रतिशत, 10 से 20 प्रतिशत एवं 10 प्रतिशत तक कार्यबाधित क्षेत्रफल के फलस्वरूप उक्त शासनादेश के अंतर्गत शून्यकाल का लाभ दिया जाता है, उन प्रकरणों में शासनादेश के बिन्दु सं० 2(1) अ, ब, स, द के प्राविधान के अनुसार 20 प्रतिशत से अधिक और 20 प्रतिशत तक प्रभावित भूमि के लिए 50 प्रतिशत, 10 प्रतिशत से अधिक, परन्तु 20 प्रतिशत तक प्रभावित भूमि के लिए 25 प्रतिशत तथा 10 प्रतिशत तक प्रभावित भूमि के लिए अनुपातिक रूप से शून्यकाल निम्नानुसार दिया जाना प्रस्तावित है:-

“यदि किसी भूखण्ड के लिए उपरोक्तानुसार कार्यबाधित अवधि का शून्यकाल घोषित किया जाता है तो आंशिक भाग की किश्तों प्रस्तर-2 (1) में दिये गये टेबल के अनुसार) को उस भूखण्ड के क्लीयर क्षेत्रफल की आगामी किश्तों में समाहित करते हुए पुनरीक्षित किश्तें बना दी जाएगी। आंशिक भाग, जिसके लिये शून्य अवधि घोषित की गई है, पर आरोपित दण्डब्याज नहीं लिया जाएगा।”

- शून्यकाल अवधि निर्धारित करते समय शासनादेश के बिन्दु सं० 2(1)(अ, ब, स एवं द) के अंतर्गत चिन्हित आवेदनों की स्थल पर निर्माण की स्थिति, सैटेलाइट ईमेजरी, अधिमोग प्रमाण पत्र जारी होने जैसे बिन्दुओं का विशेष ध्यान रखा जायेगा।
- शून्य अवधि अनुमन्य किये जाने का कोई प्रभाव लीज रेंट अथवा अतिरिक्त प्रतिकर पर नहीं पडेगा।
- उक्त संदर्भित शासनादेश के अन्तर्गत उल्लिखित सभी सुविधाओं का लाभ पाने हेतु प्रभावित आवंटियों को निर्धारित प्रारूप पर निर्धारित अवधि के अन्दर आवेदन करना होगा। निर्धारित प्रारूप (संलग्नक-1) के रूप में संलग्न है। आवेदन पत्रों का निस्तारण

31.01.2020
ALED
UNIDA

31/1/2020

31/1/2020

प्राधिकरण की स्थाई समिति की संस्तुति के आधार पर किया जाएगा।

- आवंटी द्वारा जिस अवधि में जिस क्षेत्रफल के शून्यकाल की मांग की जा रही हो तो उनके आवेदन पर तभी विचार किया जाएगा जब आवंटी द्वारा उस अवधि एवं उस क्षेत्रफल पर किसी भी प्रकार का कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र नहीं लिया गया हो।
- यह नीति उन आवंटियों पर लागू नहीं होगी, जिन आवंटियों द्वारा तत्समय पूर्ण कार्यपूर्ति आवेदन किया हो, किन्तु देयता जमा न होने के कारण इनको अस्थाई कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र दिया गया हो।

शासनादेश का प्रस्तर 2. (2): जिस अवधि के लिए शून्य काल अनुमन्य किया जायेगा, उस अवधि को निर्माण हेतु अनुमन्य समय-सीमा में शामिल नहीं किया जाएगा।

- जिन प्रकरणों में पूर्व में शून्यकाल का लाभ प्रदान किया जा चुका है, उन प्रकरणों में भी अधिकतम समय विस्तारण की समय सीमा किसी भी दशा में 30 जून 2021 से अधिक नहीं होगी।

शासनादेश का प्रस्तर 2. (3): समय विस्तारण शुल्क का रोपण उतने ही क्षेत्रफल पर किया जाए, जिसपर निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हुआ है एवं जिस अंश पर प्राधिकरण द्वारा अधिभोग प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है, बशर्त प्राधिकरण द्वारा आंशिक अधिभोग प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दिया गया हो।

- यदि किसी आवंटी को शासनादेश के अनुसार 30 प्रतिशत या इससे कम प्रभावित भूमि के लिए शून्यकाल अनुमन्य किया जाता है तो इस स्थिति में शून्य अवधि के लिए निर्माण हेतु अतिरिक्त निःशुल्क समय विस्तारण निम्नानुसार अनुमन्य होगा-

प्रभावित क्षेत्रफल (प्रतिशत)	क्षेत्रफल जिसपर शून्यकाल अनुमन्य है (प्रतिशत)	यदि प्रदत्त शून्यकाल अवधि हो	ऐसी स्थिति में अनुमन्य निःशुल्क समय विस्तारण
(क)	(ख)	(ग)	(घ)
30 प्रतिशत से अधिक	100 प्रतिशत	01 वर्ष	(क) के सापेक्ष क्षेत्रफल पर 01 वर्ष
20-30 प्रतिशत	50 प्रतिशत	01 वर्ष	(क) के अनुसार 20-30 प्रतिशत क्षेत्रफल पर 01 वर्ष
10-20 प्रतिशत	25 प्रतिशत	01 वर्ष	(क) के अनुसार 10-20 प्रतिशत क्षेत्रफल पर 01 वर्ष
10 प्रतिशत से कम	आनुपातिक	01 वर्ष	आनुपातिक क्षेत्रफल पर 01 वर्ष

- यह भी स्पष्ट करना है कि यदि उपरोक्त तालिका के अनुरूप किसी भूखण्ड के आंशिक क्षेत्रफल पर

31.01.2020
ALEO
GNIDA

31/1/2020

अतिरिक्त समयवृद्धि देय है, तो भी अधिकतम देय समयावधि दिनांक 30 जून 2021 से अधिक नहीं होगी।

शासनादेश का प्रस्तर 2.(4) जिन विकासकर्ताओं/आवंटियों द्वारा अवरूद्ध परियोजनाओं को पूर्ण करने हेतु यथोचित प्रयास नहीं किया गया है, ऐसी परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए प्राधिकरणों को यह अधिकार होगा कि वे को-डेवलपर द्वारा उन परियोजनाओं को पूर्ण करने की कार्यवाही की जाए।

• इस संबंध में आवश्यकतानुसार पृथक से कार्ययोजना बनाकर संचालक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी।

शासनादेश का प्रस्तर 2. (5): ऐसे विकासकर्ता जो फ्लैट बायर्स के हितों को संरक्षित करने के उद्देश्य से जून 2021 तक परियोजना पूर्ण करने का लिखित आश्वासन देते हैं। उन्हें प्राधिकरणों द्वारा निम्नलिखित तालिका के अनुसार समय विस्तारण शुल्क से छूट प्रदान की जायेगी:-

क्र०	व्यवस्था	छूट की अवधि		
		1	2	3
1	परियोजना पूर्ण करने की अनुमन्य अवधि जो प्राधिकरणों द्वारा प्रदान की गई है।	5 वर्ष	7 वर्ष	7 वर्ष से अधिक
2	समयावधि जिसमें समय विस्तारण शुल्क में छूट प्रदान की जायेगी।	3 वर्ष	2 वर्ष	1 वर्ष

यदि उनके द्वारा दिये गए आश्वासन के क्रम में दिनांक 30.06.2021 तक अपनी परियोजना पूर्ण नहीं की जाती है तो समय विस्तारण शुल्क से सम्बन्धित छूट निरस्त कर दी जायेगी।

• ऐसे विकासकर्ता से जून 2021 तक परियोजना पूर्ण करने का लिखित शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप पर लिया जाएगा।(संलग्नक-2)

• विकासकर्ता को शासनादेश के सापेक्ष दी जा रही शून्य अवधि व समय विस्तारण व तत्सापेक्ष शुल्कों की गणना 2 शीट में दी जायेगी। पहली शीट शासनादेश के सापेक्ष आगणित लाभों से सम्बन्धित होगी, जो तत्काल प्रभाव से लागू होगी। यदि विकासकर्ता द्वारा 30 जून 2021 तक परियोजना को पूर्ण नहीं किया जाता है तो दूसरी शीट, जिनमें शासनादेश के लाभ सम्मिलित न हो, के सापेक्ष आगणित शुल्क दिनांक 30 जून 2021 के पश्चात् लागू होंगे।

• पूर्व प्राप्त की गई समय विस्तारण अवधि अथवा अधिमोग प्रमाण पत्र प्राप्ति हेतु सशुल्क ली गयी समय विस्तारण अवधि को समायोजित अथवा वापिस नहीं की जायेगी। आबंटी को इस आशय का शपथ-पत्र प्राधिकरण को देना होगा कि उक्त नीति के अंतर्गत जो भी सुविधा/लाभ उसे प्राप्त होंगे, उक्त से सम्बन्धित कोई भी धनराशि होम बायर्स से नहीं ली जायेगी।

शासनादेश का प्रस्तर 2. (6): उपरोक्त प्रस्तर 2(1) तथा 2(5) में परियोजना पूर्ण करने की शर्त तभी पूर्ण मानी जायेगी जबकि आवंटी/विकासकर्ता द्वारा सम्बन्धित प्राधिकरण के बाईलाज के प्राविधानों के अनुसार पूर्णता प्रमाण पत्र के लिये सभी आवश्यक प्रमाण पत्रों सहित आवेदन पत्र दिनांक 31.मई.2021 तक प्रस्तुत कर दिया गया हो तथा प्राधिकरण द्वारा इंगित की गई कमियाँ, यदि कोई हों, का निराकरण कर पूर्णता प्रमाण पत्र दिनांक 30 जून 2021 तक प्राप्त कर लिया गया हो।

• स्वतः स्पष्ट है।

शासनादेश का प्रस्तर 3: यह नीति सिर्फ रेजीडेन्शियल ग्रुप हाउसिंग सोसायटीपर लागू होगी और इस हेतु आवंटी/विकासकर्ता को सम्बन्धित प्राधिकरण में इस योजना का लाभ उठाने के उद्देश्य से शासनादेश निर्गत होने की

• यदि कोई टाउनशिप का विकासकर्ता उक्त योजना के लाभ हेतु नियत अवधि में आवेदन करता है तो उक्त प्रकरण शासनादेश की शून्य अवधि की नीति

31.01.2020
ALEO
ANIDA

31/1/2020

31/1/2020

02 माह के अन्दर आवेदन करना होगा।

<p>शासनादेश का प्रस्तर 4: यह नीति मात्र अपूर्ण ग्रुप हाउसिंग परियोजनाओं के लिये है तथा अन्य सभी परियोजनाओं के लिये प्राधिकरणों के स्तर पर बनाई गई प्रभावी नीति ही लागू रहेगी। यह भी स्पष्ट किया जा रहा है कि जो समय विस्तारण शुल्क प्राधिकरण को प्राप्त हो चुका है उसकी कोई वापसी अथवा समायोजन नहीं किया जाएगा। आवंटी/विकासकर्ता द्वारा इस आशय का भी शपथ पत्र प्राधिकरण को प्रस्तुत किया जाएगा कि इस नीति के अर्न्तगत जो भी सुविधा/लाभ उसे प्राप्त होंगे उक्त से सम्बन्धित कोई भी धनराशि होम बायर्स से नहीं ली जाएगी।</p>	<p>से आच्छादित होगा अथवा नहीं, के सम्बन्ध में शासन से मार्गदर्शन प्राप्त करना उचित होगा।</p>
<p>5: मा0 एन0जी0टी0/ सक्षम न्यायालय/प्राधिकरण/ शासन द्वारा प्रत्येक वर्ष अल्प अवधि हेतु निर्माण पर रोक लगाये जाने सम्बन्धी प्रकरणों में प्राप्त आवेदन पत्रों के निस्तारण के सम्बन्ध में।</p>	<ul style="list-style-type: none">• स्वतः स्पष्ट है।• ऐसे प्रकरणों में जहाँ एयर क्वालिटी इन्डेक्स अथवा अन्य समान कारणों से सक्षम न्यायालय/प्राधिकरण/ शासन द्वारा अल्प अवधि हेतु निर्माण पर रोक लगाई गई हो, किश्तों को आगे शिफ्ट नहीं किया जाएगा, परन्तु उक्त अवधि हेतु अतिरिक्त निर्माण अवधि निःशुल्क अनुमन्य की जाएगी।

यह नीति केवल उन्हीं परियोजनाओं पर लागू होगी, जिनके द्वारा फ्लैट्स बायर्स के हितों को संरक्षित करने के उद्देश्य से जून 2021 तक परियोजना पूर्ण करने का लिखित आश्वासन शपथ-पत्र सहित दिया जायेगा। शासनादेश दिनांक 05.12.2019 में उल्लिखित समस्त बिन्दुओं को समाहित कर लिया गया है। यदि किसी प्रकरण में कोई विशेष परिस्थिति उत्पन्न होती है तो प्राधिकरण बोर्ड के अनुमोदन उपरान्त ही निर्णय लिया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में समिति की संस्तुति उच्च अधिकारियों की सहमति व बोर्ड द्वारा अनुमोदित करने के उपरान्त ही लागू किया जाना न्यायोचित है।

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी
नौएडा

31/1/2020

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी
ग्रेटर नौएडा

31.01.2020

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी

यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण

31/1/2020